भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2092

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

तमिलनाडु में एनएसआईसी द्वारा पहल

2092. श्री दुरई वाइकोः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पुदुक्कोट्टई जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों में एनएसआईसी की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित उद्यमियों/एमएसएमई इकाइयों की संख्या योजनावार कितनी है;

(ग) क्या एनएसआईसी ने उक्त जिलों में कोई प्रशिक्षण केंद्र, सुविधा केंद्र, विपणन सहायता कार्यक्रम या कच्चा माल सहायता पहल स्थापित की है या स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एमएसएमई को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं:

(i) **कच्चा माल का वितरण:** एनएसआईसी देश भर में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्राथमिक उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं से उनके आधारभूत कच्चे माल जैसे एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात, सीमेंट, पैराफिन वैक्स, कोयला, बिटुमेन इत्यादि की खरीद में उनके साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करके सुविधा प्रदान कर रही है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनकी विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर आवश्यक मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

(ii) **कच्चा माल सहायता (आरएमए) स्कीम:-** एनएसआईसी बैंक गारंटी की प्रतिभूति के सापेक्ष कच्चा माल सहायता स्कीम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करके कच्चे माल की खरीद के लिए अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान करती है। एमएसएमई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसआईसी कच्चा माल सहायता स्कीम और बैंक स्कीम के माध्यम से ऋण सुविधा हेतु ऋण सहायता प्रदान कर रही है। बिल छूट (डिस्काउंटिंग) स्कीम वास्तविक व्यापार लेनदेन अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और विनिर्माण या सेवा गतिविधियों में संलग्न राज्य तथा केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों और निजी लिमिटेड कंपनियों (व्यापारी नहीं) को की गई आपूर्ति से उत्पन्न बिलों में छूट को कवर करती है।

(iii) **एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरस)**:- एनएसआईसी अपने एसपीआरएस के अंतर्गत एमएसएमई को पंजीकृत करती है। एसपीआरएस के तहत पंजीकृत इकाइयां समय-समय पर संशोधित सूक्ष्म और लघु उद्यम हेतु लोक प्रापण नीति आदेश 2012 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(iv) एमएसएमई ग्लोबलमार्ट पोर्टल:- एनएसआईसी अपने बी2बी पोर्टल http://www.msmemart.com के माध्यम से सूचना मध्यस्थ सेवाएं प्रदान कर रही है, जो विभिन्न सहायतों का एकल केंद्र है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्त से संबंधित जानकारी प्रदान करता है तथा संपोषण एवं विकास हेतु उनकी डिजिटल मौजूदगी को सक्षम बनाकर भारतीय एसएमई की मुख्य सक्षमता को भी प्रदर्शित करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तिरुचिरापल्ली और पुदुक्कोट्टई जिलों में उपरोक्त एनएसआईसी स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित उद्यमियों/एमएसएमई की संख्या **अनुलग्नक** में है।

इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी अपने तकनीकी सेवा केंद्रों (एनटीएससी) और इन्क्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से उद्योग उन्मुख मांग संचालित उद्यमिता/कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएसडीपी) प्रदान करती है। ईएसडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं स्व-रोजगार सृजन और कौशल विकास हैं, जो पहली पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यम निर्माण के लिए कौशल अर्जित करने का अवसर प्रदान करती हैं तथा हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के माध्यम से एकीकृत सहायता प्रदान करती हैं। एनटीएससी-चेन्नई और डिंडीगुल केंद्रों के माध्यम से तमिलनाडु में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं और सेवा-प्राप्त एमएसएमई का विवरण निम्नानुसार है:

एनटीएससी	2022-23		2023-24		2024-25	
	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	सेवा-प्राप्त एमएसएमई	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	सेवा-प्राप्त एमएसएमई	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	सेवा-प्राप्त एमएसएमई
चेन्नई	9322	1384	9415	1535	10612	2302
डिंडीगुल	15	-	185	-	298	-

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता है।

****

अनुलग्नक

दिनांक 12.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2092 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

I. कच्चा माल वितरण के अंतर्गत लाभान्वित इकाइयों की संख्या

(एमएसएमई की संख्या)

जिला	2022-23	2023-24	2024-25
तिरुचिरापल्ली	12	11	14
पुदुक्कोट्टई	02	02	02

II. कच्चा माल सहायता स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित इकाइयों की संख्या

(एमएसएमई की संख्या)

जिला	2022-23	2023-24	2024-25
तिरुचिरापल्ली	11	16	20
पुदुक्कोट्टई	-	01	1

III. एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों की संख्या

(एमएसएमई की संख्या)

जिला	2022-23	2023-24	2024-25
तिरुचिरापल्ली	35	39	25
पुदुक्कोट्टई	2	2	6

IV. एमएसएमई ग्लोबलमार्ट पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से लाभान्वित उद्यमियों/एमएसएमई इकाइयों की संख्या

(एमएसएमई की संख्या)

जिला का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
तिरुचिरापल्ली	3	8	5
पुदुक्कोट्टई	27	20	25